न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 515/ 2019

1 विनोद कुमार पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 सोहनलाल पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 देवीलाल पुत्र बींझाराम जाति मेघवाल निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 गायत्री पुत्री देवीलाल पत्नी गोविन्द जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

3 बिरूराम पुत्र बीझाराम जाति मेघवाल निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 महेन्द्र सिंह पुत्र बीझांराम जाति मेघवाल निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5 दलीप कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति मेघवाल निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

6 राजेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति मेघवाल निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री मनोहरलाल सहारण, इन्द्रजीत जलन्धरा अधिवक्ता वादीगण

2 श्री राजेन्द्र डाल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 19.02.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88,53,188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि तहसील सादुलशहर के चक 8 एस डी पी खाता संख्या 45/36 प.न. 27/165 मु.न. 10 कि.न. 1 ता 15 में 3.795 है. नहरी मय गै.मु. प.न. 26/167मु.न. 19 कि.न .2 ता 4, 7 ता 19 , 12 ता 24, 17 ता 19, 22 ता 24 में 3.795 हे. नहरी कुल 7.590 है.नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 3.162 है. रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज व वादी संख्या 1 के नाम 0.632 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। चक 8 एस डी पी खाता संख्या 39/45 प.न. 29/168 मु.न 23 कि.न. 24, 25 सालम प.न. 29/159 मु.न. 32 कि.न 1 ता 4 सालम कि.न. 5 में 0.126 है. कुल 1.644 है. नहीर मय गै.मु. रास्ता, आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज रिकॉर्ड माल है। चक 8 एस डी पी खाता संख्या 19/16 प.न. 129/168 मु.न. 23 कि.न. 20 ता 23 में 1.012 है.नहरी आराजी प्रतिवादीसंख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। चक 8 बी एन डब्लयू खातासंख्या 53/59 प.न. 23/136 मु.न. 47 कि.न. 11 ता 25 में 3.795 है.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

नहीर मय गे.मु. रास्ता प.न. 23/137 मु.न. 48 कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता कुल 10.120 है. नहीर मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 4.639 है. आराजी दर्ज कागजात है। उपरोक्त रकबा प्रतिवादीसंख्या 1 के नाम है वह जददी जायदाद है जो प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता व माता के फौत होने के उपरान्त विरासतन प्राप्त हुआ है नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा पूर्ण प्रतिफल देकर डेडराम पुत्र ईसरराम जाति नायक से उसके हक व हिस्से का रकबा चक 8 एस डी पी के मु.न. 23, 32 में 13 बीघा दिनांक 24.4.2001 को अपने भाई महेन्द्र सिंह के साथ ब.हि.ब. खरीदकिया था। वादी के पिता देवीलाल ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा डेढराम पुत्र ईसरराम जाति नायक से मु.न. 23 कि.न. 20 ता 23 की 4 बीघा आराजी 27.12.2001 को खरीद की थी दावा की मद संख्या 10 में किला विशेष आराजी की कब्जा काश्त दर्शायी गयी। वादीगण ने कई बारप्रतिवादीगण से निवेदन किया कि घरू बंटवारानूसार इस प्रकार प्रत्येक पक्ष के हिस्सा में रकबा आया है उसी अनूसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने के लिये आप सक्षम अधिकारी के समक्ष सहमति के बयान कर दो ताकि सकबा नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन होकर खाता तकसीम हो जावे पहले तो आज कल आज कल करते रहे परन्तु आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगे कि हम तो घरू बंटवारा को नही मानते है और ना ही तुम्हारे पक्ष में सहमति के बयान करते है तुम्हे जो करना है कर लो, बस यही बिनाये दावा है। वगैरा–वगैरा।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वादीगण को वाद पत्र की मद संख्या 10 के अनूसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनूसार वादीगण का खाता अलग से कायम किया जावे एव प्रतिवादीगण को जरिये शाश्वत व्यादेश पाबन्द किया जावे कि दौराने दावा रकबा को रहन बैय करने से पाबन्द रहे।

वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीसंख्या 1 ता 6 ने जरिये वकील उपस्थित होकर वादीगण के वाद पत्र के समर्थन में राजीनामा पेश किया एव निवेदन किया कि चक 8 एस डी पी प.न. 29/168 मु.न. 23 कि.न. 20 ता 24 में 1.265 है., चक 8 बी एन डब्लयू के खाता संख्या 53/59 में 1.897 है. कुलु दोनों चकों में 3.162 है. आराजी वादी संख्या 1 विनोक को प्राप्त हुयी है एव चक 8 एस डी पी के खाता संख्या 45/36 में 3.162 है. आराजी वादी संख्या 2 सोहनलाल को प्राप्त हुयी है। व चक 8 बी एन डब्लयू खाता संख्या 53/59 में 2.742 है. आराजी व चक 8 एस डी पी के खातासंख्या 49/45 में मु.न. 32 कि.न. 1 ता 4 सालम कि.न. 5 में 0.126 है. आराजी मु.न. 23 कि.न .25 सालम कुल 1.391 है. इस प्रकार दोनों चको मे कुल 4.133 है. आराजी प्रतिवादी संख्या 1देवीलाल को प्राप्त हुयी है। प्रतिवादी संख्या 2 ने जददी जायदाद में अपना हक व हिस्सा लेने से इंकार कर दिया है इसलिए उनकों कोई रकबा हिस्सा में नही आया है। एव मुताबिक राजीनामा वादवादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये एव मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी प्रदान की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है एव वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पति है वादीगण पुत्र होने के नाते पारिवारिक बंटवारा के अनूसार वादाधीन सहदायिकी सम्पति मे घोषणा की मांग कर रहे है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये राजीनामा वादीगण के चाहे गये अनूतोष को स्वीकार कियाहै एव अन्य सहकाश्तकारान ने वादीगण की कब्जा काश्त में कोई विरोध नही

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

किया है इस प्रकार वादीगणने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनों, बहस एव राजीनामा के अनूसार बखूबी साबित किया है, वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 8 एस डी पी प.न. 29/168 मु.न. 23 कि.न. 20 ता 24 में 1.265 है., व चक 8 बी एन डब्लयू के खाता संख्या 53/59 में कुल खाता 10.120 है. नहरी मय गे.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.639 है. आराजी में से 1.897 है. आराजी दोनों चकों की कुल 3.162 है. आराजी का वादी संख्या 1 विनोद को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चक 8 एस डी पी के खाता संख्या 45/36 में दर्ज कुल खाता 7.590 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.162 है. आराजी का वादी संख्या 2 सोहनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एव वादीगण को प्राप्त आराजी की हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.16 17:14:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: